

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

पीठासीन अधिकारी:— श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस.

उनवान

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सीतादेवी पत्नि मोहनराम
2. ताराराम पुत्र तांबाराम
3. अशोककुमार पुत्र सकाराम
4. भावाराम पुत्र आसूराम जातियान  
भील निवासी सिणधरी चौसीरा  
तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर

1. चेतनराम पुत्र पोलाराम
2. चोलाराम पुत्र पोलाराम
3. नेनाराम पुत्र पोलाराम
4. पोकरराम पुत्र पोलाराम
5. चेनाराम पुत्र धनाराम
6. मोटाराम पुत्र धनाराम
7. भोलादेवी पत्नि धनाराम
8. बाबुराम पुत्र धनाराम  
जातियान भील निवासी सिणधरी  
चौसीरा तहसील सिणधरी जिला  
बाड़मेर
9. तहसीलदार सिणधरी


दावा बाबत:— 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :-30/2022

निर्णय दिनांक :- 05.07.2023

वादीगण की ओर से श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी सं. 10 के पैरोकार (नायब तहसीलदार सिणधरी) की उपस्थिति एवं शेष एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 05.07.2023 को श्री रामसिंह गुर्जर (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 05.07.2023 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं। कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादीनीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	